रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2413] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2014/अग्रहायण 6 1936
No. 2413] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2014/AGRAHAYANA 6, 1936

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2014

का.आ. 3001(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे आगे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2165(अ) के द्वारा आतंकवाद तथा विध्वंसक, क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/आतंकवाद निवारण अधिनियम (टाडा/पोटा) के तहत जम्मू तथा कश्मीर स्थित निर्दिष्ट न्यायालयों को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ संपूर्ण जम्मू तथा कश्मीर राज्य क्षेत्र में अधिसूचित अपराधों के विचारण के क्षेत्राधिकार से युक्त विशेष न्यायालय के तौर पर अधिसूचित किया था;

और जबकि, श्री संजीव गुप्ता, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (टाडा) जम्मू, जिन्हें दिनांक 22 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1939(अ) द्वारा उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो चुका है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ.1939(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व कर दी गई हों या करने हेतु छोड़ दी गई हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश, जम्मू तथा कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर की सिफारिश पर, आतंकवाद तथा विध्वंसक, क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/आतंकवाद निवारण अधिनियम (टाडा/पोटा) के तहत निर्दिष्ट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तथा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जम्मू, श्री यशपाल कोतवाल को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु न्यायाधीश के तौर पर एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (भाग-IV)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2014

S.O. 3001(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2165(E), dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Designated Courts under Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act/Prevention of Terrorism Act (TADA/POTA) at Jammu and Srinagar as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of Section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Jammu and Kashmir for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Sanjeev Gupta, 3rd Additional Sessions Judge, (TADA) Jammu, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 1939(E), dated 22nd August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd August, 2012, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 1939(E), dated 22nd August, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir at Srinagar, hereby appoints Shri Yash Pal Kotwal, Presiding Officer, Designated Court under Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act/Prevention of Terrorism Act (TADA/POTA), the 3rd Additional District and Sessions Judge, Jammu as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.